

32 साल का इंतजार खत्म: यमुना का पानी अब पहुंचेगा राजस्थान

राजस्थान-हरियाणा के बीच ऐतिहासिक समझौता, 34,102 करोड़ की परियोजना से शेखावाटी को मिलेगी बड़ी राहत

भीलवाड़ा फोकस @ जयपुर।

राजस्थान की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में सोमवार को ऐतिहासिक कदम उठाया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ ही वर्ष 1994 में राजस्थान को आवंटित यमुना जल का उपयोग करने का रास्ता साफ हो गया।

करीब 34,102 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछकर राजस्थान के चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए तीन भूमिगत पाइपलाइन, निरीक्षण सड़क, कृत्रिम जलाशय और आधुनिक



जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। परियोजना के संचालन के लिए राजस्थान-हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी का गठन भी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी को लेकर करीब तीन दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। उन्होंने

कहा कि इससे विशेष रूप से राजस्थान के लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी और भविष्य में यह समझौता राज्यों के बीच जल प्रबंधन का आदर्श मॉडल बनेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि वर्ष 1994 में राजस्थान को ताजेवाला हेड पर 1917 क्यूसेक पानी आवंटित किया गया था, लेकिन आवश्यक प्रवाह व्यवस्था नहीं

होने के कारण राज्य 32 वर्षों तक अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग नहीं कर सका। अब भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से चूरू, सीकर, झुंझुनूं सहित शेखावाटी क्षेत्र में दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों से दशकों से लंबित यह परियोजना अब धरातल पर उतरने जा रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना से न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा के भी कई क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। हंसियावास में बनने वाले जलाशय से हरियाणा के निवासियों को भी पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथन सिंह सैनी ने कहा कि यह परियोजना दोनों राज्यों के सहयोग का प्रतीक है और हरियाणा इसके सफल क्रियान्वयन में पूरा सहयोग करेगा।



भीलवाड़ा फोकस @ भीलवाड़ा।

पुनित चपलोट

जिले के मांडल कस्बे में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मांडल रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित कंचन प्रोसेस हाउस इंडिया लिमिटेड के गेट नंबर-1 पर सफेद कंक्रीट से भरा एक तेज रफ्तार ट्रैलर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल और दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मारते हुए फैक्ट्री के गेट में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर तेज धमाके के साथ अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैलर गेट के पास लगी लोहे की सीढ़ियों के पोल से टकराकर वहीं फंस गया। यदि ट्रैलर आगे बढ़ जाता तो फैक्ट्री के बाहर ओर अंदर मौजूद लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था।

प्रत्यक्षदर्शी कन्हैयालाल मेघवंशी ने बताया कि ट्रैलर तेज गति से आ रहा था और चालक के नियंत्रण खोने से

हादसा हुआ। दुर्घटना में वह बच गए पर उनकी मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक अन्य बाइक भी ट्रैलर की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार राजेश कुमार (45) पुत्र हीरालाल सेवदा निवासी ब्राह्मणों की सेर्री गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं ट्रैलर चालक नाग सिंह पुत्र मूल सिंह भी घायल हुआ। दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से उपजिला चिकित्सालय मांडल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा भीड़ को हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारु कराई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है।

13 लाख की नकबजनी का खुलासा: पत्नी ने ही रचा था चोरी का ड्रामा

ऑनलाइन स्ट्रे में लाखों रुपये हारने के बाद दर्ज करवाई झूठी चोरी की रिपोर्ट, आरोपी गिरफ्तार

भीलवाड़ा फोकस @ भीलवाड़ा।

भीमगंज थाना क्षेत्र में 13 लाख रुपये की नकबजनी के चर्चित मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक चौंकाने वाला सच सामने लाया है। मामले में शिकायतकर्ता की पत्नी ही चोरी की साजिश रचने वाली निकली। पुलिस ने आरोपी क्षिप्रा जैन (30) निवासी तिलकनगर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रकम की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने थानाधिकारी सुनील चौधरी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया की 23 जून को तिलकनगर निवासी संदीप कुमार जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जून की रात वह अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर गया था। लौटने पर घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला और कमरे में रखे बेड बॉक्स से 13 लाख रुपये से भरा बैग गायब था। परिवारी ने बताया था कि यह राशि प्लॉट बेचने के बाद किसी पार्टी को देने के लिए रखी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले,

मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) का विश्लेषण किया तथा तकनीकी साक्ष्यों के साथ परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की। जांच में किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिलने पर संदेह घर के सदस्य पर गया।

पुलिस ने परिवारी की पत्नी क्षिप्रा जैन से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह ऑनलाइन सट्टा खेलती थी। सट्टे में लगातार हारने के कारण उसने घर में रखी नकदी को धीरे-धीरे खर्च कर दिया। जब लाखों रुपये हार गई तो खुद ही घर में चोरी का नाटक रचकर पति से पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी।

पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में राशि की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

विशेष टीम में थानाधिकारी सुनील चौधरी, थाना गांधीनगर की थानाधिकारी पुष्पा कसौटिया, एसआई ओमप्रकाश नायक, साइबर सेल के एसआई सत्यनारायण सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



रहेगी विभाग ने धर्मकांटा संचालकों से समय पर सत्यापन कराने और सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे विशेष निरीक्षण अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे।

साइबर पुलिस की कार्रवाई: फर्जी सिम से 7.05 लाख की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड अलवर-मेवात से गिरफ्तार

UPI आईडी बनाकर बुजुर्ग के खाते से उड़ाए थे रुपये

भीलवाड़ा फोकस @ भीलवाड़ा।

पुनित चपलोट

पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए फर्जी सिम और फर्जी UPI आईडी के जरिए 7.05 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को अलवर-मेवात क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 75 वर्षीय बुजुर्ग के बैंक खाते से बिना उनकी जानकारी के UPI के माध्यम से पूरी रकम पार कर दी थी।

जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन के निर्देशन एवं साइबर थाना प्रभारी रामशरण के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी



अनुसंधान के आधार पर आरोपी कायम खान (23) निवासी घाटी का बास चांदौली, थाना विजय मंदिर, जिला अलवर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, करेड़ा थाना क्षेत्र के बड्डू निवासी 75 वर्षीय नाथू सिंह चुंडावत के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते में 5 मार्च 2025 को 7,05,683.06

रुपये शेष थे। दो माह बाद जब वे बैंक में पासबुक अपडेट कराने पहुंचे तो खाते में केवल 1,063.59 रुपये बचे मिले। जांच में सामने आया कि पूरी राशि UPI के जरिए ट्रांसफर कर ली गई थी, जबकि पीड़ित न तो एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, न एटीएम कार्ड रखते हैं और न ही उन्होंने किसी को

OTP साझा किया था।

मामले में साइबर थाना भीलवाड़ा में प्रकरण दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की गई। जांच के दौरान फर्जी सिम के जरिए बनाई गई UPI आईडी का सुराग मिलने पर पुलिस टीम ने अलवर-मेवात में दबिश देकर मुख्य आरोपी कायम खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के साथ इस साइबर ठगी गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा ठगी की राशि किन खातों में ट्रांसफर की गई।

इस कार्रवाई में साइबर थाना प्रभारी रामशरण, कांस्टेबल राम प्रसाद, प्रभुराम और कुलदीप की अहम भूमिका रही।

भीलवाड़ा NDPS कोर्ट का फैसला : 1.5 किलो गांजा तस्करी में आरोपी को 3 साल की कठोर कैद और 30 हजार का जुर्माना

भीलवाड़ा फोकस @ भीलवाड़ा।

पुनित चपलोट

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए भीलवाड़ा की विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी मिट्टू ओड को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 3 जनवरी 2020 का है। सुभाषनगर थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक रामपाल सिंह पुलिस जासे के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित विधि कॉलेज के पास एक युवक पुलिस को देखकर झाड़ियों के पीछे छिपने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।



तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक कट्टे में 1 किलो 460 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उसकी पहचान मिट्टू ओड (30) पुत्र छोगालाल ओड, निवासी मारुति कॉलोनी, सुभाषनगर के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर ही गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 8 गवाहों के बयान और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। मजबूत साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश

(एनडीपीएस कोर्ट) ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

धर्मकांटों पर विभाग की बड़ी कार्रवाई 311 वे-ब्रिज की जांच, 179 में मिली अनियमितता; 3.99 लाख का जुर्माना

भीलवाड़ा फोकस @ जयपुर।

प्रदेश में व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग ने 23 से 25 जून तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान राज्यभर में 311 धर्मकांटों (वे-ब्रिज) का निरीक्षण किया गया, जिनमें 179 संस्थानों पर अनियमितताएं मिलने पर 3 लाख 99 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। गंभीर मामलों में 18 धर्मकांटे जब्त भी किए गए। उपभोक्ता मामलात मंत्री

सुमित गोदाय के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में 116 धर्मकांटे बिना सत्यापन के संचालित पाए गए। वहीं 98 मामलों में सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदर्शित नहीं किया गया, 48 संस्थानों पर मानक बाट सत्यापित नहीं मिले, जबकि 27 जगह अनिवार्य एक टन का मानक भार उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा 2 मामलों में निर्धारित सीमा से अधिक वजन की त्रुटि सामने आई, जिससे व्यापारिक लेन-देन की निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका जताई गई। जिला स्तर पर ब्यावर में सर्वाधिक 34,500 रुपए, चूरू में 30,000 रुपए,

हनुमानगढ़ में 26,000 रुपए, अलवर में 22,500 रुपए तथा अजमेर में 18,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं अलवर जिले में सबसे अधिक 9 धर्मकांटे जब्त किए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि व्यापारिक उपयोग में आने वाले सभी धर्मकांटों का समय पर सत्यापन कराना, सत्यापन प्रमाण-पत्र सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना तथा निर्धारित मानक भार उपलब्ध रखना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई जारी

